



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18083

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-12662 वर्ष 2025

विनोद आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य अपने प्रधान सचिव (गृह) और एक अन्य के माध्यम से प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: गुंजन शर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आज दायर पूरक हलफनामा अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक (उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति) की अधिवक्ता श्रीमती गुंजन शर्मा और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान धारा 302 भ०द०वि०, थाना-किठोर, ज़िला: मेरठ की 2022 के केस अपराध संख्या-291 से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या-2023 में ज़मानत की मांग की।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक पर आरोप है कि उसने 06.10.2022 को शाम लगभग 07:30 बजे सूचनाकर्ता के बेटे पर चाकू मार दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना को मनीषा और छोटी ने देखा था।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में लगभग छह घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

6. अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में भौतिक और स्पष्ट विरोधाभास हैं। सूचनाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक ने मृतक को केवल एक चोट पहुंचाई है, जबकि शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को तीन चोटें आई हैं। यह भौतिक असंगति मामले की जड़ तक जाती है और अभियोजन पक्ष के संस्करण की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कमजोर करती है।

7. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 10.10.2022 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

8. तत्सम विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि सूचनाकर्ता चश्मदीद गवाह नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दो चश्मदीद गवाहों, अर्थात् मनीषा और छोटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक ने मृतक को कई चोटें पहुंचाई हैं। उनके बयान क्रमशः अ०सा०-2 और अ०सा०-3 के रूप में दर्ज किए गए हैं, इस प्रकार, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

9. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी और उसके अनुपालन में, संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा 12.12.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, अब तक सात गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, इस प्रकार विचारण अपने अंतिम छोर पर है।

10. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषसिद्धि हो सकती है या आरोपी बरी हो सकती है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।



11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है क्योंकि पहले से ही सात गवाहों की जांच की जा चुकी है, मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए यह उचित मामला नहीं लगता।

12. तदनुसार, ज़मानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

13. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 27, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)